झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)विविध–32 / 2013 .... / राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री राम प्रकाश सिंह, (ID- J7618) तदेन सहायक अभियंता, औरंगा निर्माण प्रमण्डल सं०–03, पाँकी सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग के विरूद्ध दिनांक– 11.12.2013 को समय 2.00 बजे अपराहन् में नेपाल हाऊस के बाहर श्री बिरेन्द्र कुमार शुक्ल, संयुक्त सचिव, श्रम विभाग की उपस्थिति में श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता को जान से मारने की धमकी दिये जाने और गाली–गलौज करने के आरोप में आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प सं०– 778 दिनांक– 29.01.2014 द्वारा सिविल सेवा नियमावली– 1930 के नियम– 55 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष बिन्दु पर अंकित किया गया कि श्री राम प्रकाश सिंह एवं श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय के बीच बकझक हुई है, परन्तु यह झगड़ा संभवतः पैसे के लेनदेन के कारण हुआ है, जिसका निराकरण विभाग से बाहर होनी चाहिए। एतदर्थ मामला डोरण्डा थाना, राँची में सनहा सं०–759 दिनांक– 28.12.2013 में दर्ज की गई। अद्यतन स्थिति की जानकारी हेतु 4399 दिनांक– 09.10.2014 द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक एवं ज्ञापित प्रति थाना प्रभारी, डोरण्डा को प्रेषित की गई एवं अनेकों स्मार पत्र प्रेषित की गई किन्तु अद्यतन प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी, डोरण्डा से अप्राप्त रहने की स्थिति में मामले की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। उपर्युक्त मामले में श्री सिंह का आचरण सरकारी सेवक के आचार नियमावली के प्रतिकूल पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक– 3789 दिनांक– 31.08.2017 द्वारा निन्दन का दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिंह का जवाब विभाग को प्राप्त हुआ।

3. श्री सिंह के जवाब की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक– 2378 दिनांक– 29.05.2018 द्वारा मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर से उनके कार्यालय कक्ष में हुए बैठक से संबंधित साक्ष्य अभिलेख की माँग की गई। मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर द्वारा उक्त तिथि (11.12.2013) को सम्पन्न बैठक में श्री सिंह उपस्थित थे अथवा नहीं ? सम्पुष्ट होने संबंधी कोई भी साक्ष्य अभिलेख को उपलब्ध कराये बगैर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

4. अतएव सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री राम प्रकाश सिंह, सहायक अभियंता के विरूद्ध "निन्दन" दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. एतद द्वारा सरकार के उक्त आदेश को संसूचित किया जाता है।

ह० / –

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1370 / राँची, दिनांक 06/3/19

प्रतिलिपि : महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर / मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, राँची / उप सचिव, (प्रबंधन) प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, राँची / श्री राम प्रकाश सिंह, (ID-J7618) सहायक अभियंता, (विभागीय अधिसूचना सं०–3839 दिनांक– 20.11.2018 के प्रसंग में श्री सिंह का सेवा ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया) ग्रामीण विकास विभाग / वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/19

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव